

नाम
हस्ताक्षर


RTA 53-54 वा. सं. 246/2011
दस्तावेज या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
धातुबाई व/स लक्ष्मीलाल का.

नम्बर व तारीख
अधिकार जो इस
दस्तावेज को सम्बन्धित
में जारी हुए

19/12/24

पत्रावली पेश हुई। वादी आधिकारता
उपलब्ध। वादी आधिकारता का रास्ता
रिकॉर्ड की अद्यतन उर्वर पेश करते हुए
निवेदन किया कि वास्तव में भूमि का
वादी एवं उत्तराधिकारी के मध्य विभाजन
हो चुका है तथा वादी का नाम वर्तमान
राजस्व रिकॉर्ड में अंक नहीं रहा है। वादी
द्वारा उत्तर बाद में चला गया अनुज्ञाप
वादी की उत्तर हो चुका है अतः वादी
द्वारा उत्तर बाद अनुरोध द्वारा 53-54
राजस्व कार्रकारी आधीन प्रम में
चला गया अनुज्ञाप उत्तर हो जाने से
बाद प्रम को निरस्त कर दिया जावे।

वादी द्वारा की गई अद्यतन एवं
उत्तर अद्यतन राजस्व रिकॉर्ड तथा
उत्तर बाद प्रम का सबलैकन किया
जाया। वादी द्वारा उत्तर बाद प्रम में
वर्तमान आधीन वर्तमान राजस्व
रिकॉर्ड अनुसार प्रम - प्रम को जोड़ने में
विभाजित लेकर नवीन अद्यतन में दर्ज
हो चुकी है अतः वादी द्वारा उत्तर बाद
अनुरोध द्वारा 53-54 राजस्व कार्रकारी
आधीन प्रम में चला गया अनुज्ञाप उत्तर
हो जाने से वादी का बाद खारिज किया
जाया है। निधि लक्ष्मीलाल लुनाजा
द्वारा पत्रावली में लिखी पत्र जारी है।
पत्रावली फौजल कुमार लेकर जारी
करना है तथा नम्बर से कम है।


19/12/24
सहायक कलेक्टर
मीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. धांपू बाई पत्नी मोती लाल विश्‍नोई जाति विश्‍नोई आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. बशी लाल पुत्र छोमा लाल जाट आयु वयस्क निवासी चुंगी नाका के पास, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. चांदी पुत्री छोमा लाल जाट आयु वयस्क निवासी चुंगी नाका के पास, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. लाडु पुत्री छोमा लाल जाट आयु वयस्क निवासी चुंगी नाका के पास, पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. सुगन पत्नी अशोक जैन आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. सीमा पत्नी राकेश सिंघवी आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. राधा देवी पत्नी मूलशंकर भारद्वाज आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. पिस्ता देवी पत्नी महावीर जैन आयु वयस्क निवासी आसीन्द तह0 आसीन्द जिला भीलवाड़ा
8. नारायण कंवर पत्नी ईश्वर सिंह कानावत आयु वयस्क निवासी किशनावतो की खेड़ी तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. शैलेन्द्र कुमार पुत्र शांति लाल हिंगड़ आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. अण्छी पत्नी उदयराम जाट आयु वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
11. रमपी पत्नी आजाद कुमार खमेसरा आयु वयस्क निवासी जैन ज्योति कॉलोनी, सांगानेर रोड़ भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 246/2011 राजस्व वाद
वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री शिवसिंह चारण उपस्थित - इस वाद में आज तारीख 19.12.2024 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-
वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित आराजियात वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार पृथक-पृथक खातों में विभाजित होकर नवीन खातों में दर्ज हो चुकी है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53-54 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम में चाहा गया अनुतोष प्राप्त हो जाने से वादी का वाद खारिज किया जाता है।


सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा